प्रेस नोट संख्या- 12
दिनांक 11.01.2026
सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

थाना जायस पुलिस द्वारा हत्या का खुलासा, मृतक का सिर, आलाकत्ल गड़ासा, घटना में प्रयुक्त मारुति वैन व मृतक का मोबाइल फोन, आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण-पत्र, ताबीज, कलावा, धागा आदि के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 08.01.2026 को वादिनी श्रीमती पूजा सिंह पत्नी नितिन कुमार निवासी बहादुरपुर थाना जायस जनपद अमेठी द्वारा थाना जायस पर लिखित तहरीर दी गयी कि वादिनी के मामा विजय सिंह पुत्र बेनी माधव सिंह नि0 मोहल्ला जेल रोड थाना मकन्दूगंज जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, जो वादिनी के घर आये थे तथा 10 बजे रात्रि में घर से निकले थे। कुछ आज्ञात लोगों द्वारा मोजमगंज सिवान में नहर पटरी के पास हत्या कर दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जायस पर मु0अ0सं0 05/26 धारा 103(1) बी0एन0एस0 बनाम कुछ व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर उक्त घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संबंधित को आवश्यक आदेश/निर्देश दिये गये थे।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में दिनांक 11.01.2026 को क्षेत्राधिकारी तिलोई श्री दिनेश कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में थाना जायस पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वैन सवार 04 अभियुक्तों 1.राजन सोनकर उर्फ निरहू पुत्र सदाशिव उर्फ जोगी, 2.सौरभ सोनकर पुत्र बलराम, 3.प्रदीप उर्फ तूफानी सोनकर पुत्र सूरज लाल, 4.अजय सोनकर पुत्र हरिश्चन्द्र सोनकर निवासीगण मोहल्ला छोटा गोरियाना कस्बा व थाना जायस जनपद अमेठी को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त राजन सोनकर उर्फ निरहू ने बताया कि बाबा विजय सिंह (मृतक) झाड़ फूक का काम करते थे लोगों के माध्यम से उसे जानकारी हुई तो वह भी अपने व अपनी मां को दिखा कर विजय सिंह से झाड़ फूक करवाया था जिसके बदले में उसने कई बार बाबा को रुपये दिया था लेकिन आराम न मिलने पर और पैसे की मांग करते थे। जब उसने पैसा देने से मना कर दिया तो उसकी शारीरिक समस्या अधिक बढ़ गई। तब उसे लगा कि उसने बाबा को पैसे नहीं दिया तो बाबा ने उस पर जिन्न भूत(जिन्न) छोड़ दिया है। इसी बात से परेशान होकर उसने अपने साथी सौरभ सोनकर, प्रदीप उर्फ तूफानी सोनकर व अजय सोनकर के साथ मिलकर योजना बनाई कि अगर बाबा को खत्म कर दिया जाये तो समस्या खत्म हो जायेगी। योजना के अनुसार राजन सोनकर ने एक मारुति वैन भाड़े पर लिया था। दिनांक 07.01.2026 को जायस रेलवे स्टेशन के पास राजन की मुलाकात विजय सिंह से हुई तो राजन द्वारा अपनी समस्या बताने पर विजय सिंह ने बताया था कि उसे देवा शरीफ चलना पड़ेगा और रुपये भी खर्च होंगे। विजय सिंह के साथ देवा शरीफ चलने की बात पर राजन सोनकर तैयार हो गया तथा रात्रि समय करीब 10 बजे चार पहिया वाहन के साथ मिलने की बात कहकर चला गया था। अपने साथियों के साथ बनाई गई योजना के अनुसार एकराय होकर चारों अभियुक्तों ने मारुति वैन से विजय सिंह को उनकी भांजी के घर से देवा शरीफ चलने के बहाने मोजमगंज के पास खेत में सूनसान जगह ले जाकर विजय सिंह को गाड़ी से उतार कर सौरभ ने पकड़ कर गिरा दिया था तथा अजय सोनकर व प्रदीप उर्फ तूफानी सोनकर ने पैर पकड़ लिया था उसके बाद सौरभ ने हाथ व सिर दबा दिया था। राजन सोनकर ने पहले से गाड़ी में रखे गड़ासे से गर्दन पर वार कर सिर अलग कर दिया था। मृतक की पहचान छिपाने के लिये धड़ को नाले के पास फेंक दिया तथा सिर को एक बोरी में ईंट के साथ भरकर गदहिया तालाब के पास स्थित एक पुराने कुंए में डाल दिया था। अभियुक्तों की निशानदेही पर गदहिया तालाब के पास कुंए से जूट के बोरे में ईंट के साथ भरा हुआ मृतक का सिर व मारुति वैन संख्या यूपी 33 एडब्ल्यू 7364 से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल गड़ासा, मृतक का मोबाइल फोन, आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण-पत्र, ताबीज, मृतक व उसकी पत्नी की फोटो, लाल व काले रंग का धागा आदि बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. राजन सोनकर उर्फ निरहू पुत्र सदाशिव उर्फ जोगी निवासी मोहल्ला छोटा गोरियाना कस्बा व थाना जायस जनपद अमेठी उम्र 25 वर्ष।
2. सौरभ सोनकर पुत्र बलराम निवासी मोहल्ला छोटा गोरियाना कस्बा व थाना जायस जनपद अमेठी उम्र 22 वर्ष।
3. प्रदीप उर्फ तूफानी सोनकर पुत्र सूरज लाल निवासी मोहल्ला छोटा गोरियाना कस्बा व थाना जायस जनपद अमेठी उम्र 25 वर्ष।
4. अजय सोनकर पुत्र हरिश्चन्द्र सोनकर निवासी मोहल्ला छोटा गोरियाना कस्बा व थाना जायस जनपद अमेठी 26 वर्ष।

बरामदगी-

- आलाकत्ल 01 गड़ासा।
- घटना में प्रयुक्त मारुति वैन संख्या यूपी 33 एडब्ल्यू 7364
- जूट के बोरे में ईंट के साथ भरा हुआ मृतक का सिर।
- मृतक का मोबाइल फोन, आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण-पत्र, 08 ताबीज, मृतक व उसकी पत्नी की फोटो, लाल व काले रंग का कलावा, 02 मूंगा, 02 लच्छी काला धागा, ताबीज की 12 पर्ची आदि।

पुलिस द्वारा की गई कार्यावाही-

- मु0अ0सं0 05/26 धारा 103(1), 238(क), 3(5) बी0एन0एस0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जायस जनपद अमेठी।
- मारुति वैन संख्या यूपी 33 एडब्ल्यू 7364 (धारा 207 एमवी एक्ट)

पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष अमरेन्द्र सिंह थाना जायस जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 हरीराम पाल थाना जायस जनपद अमेठी।
3. उ0नि0 राम विभू सिंह थाना जायस जनपद अमेठी।
4. का0 वीर प्रताप थाना जायस जनपद अमेठी।